(ख) क्या यह भी सच है कि देश में लगभग 8 लाख टेलीफोनों की प्रतिष्ठापित क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से से (ग) जो नहीं । 31-1-94 की स्थिति के अनुसार क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 84.6 है । अतिरिक्त संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग कुछ महीनों की अवधि के दौरान पंजीकृत मांग के आधार पर हो जाता है ।

दूरसंचार प्रणाली का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

2008. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री रजनी रंजन साहू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1994 की "पत्रिका" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लेखा-परीक्षण संबंधी आपत्तियों तथा लेखा-परीक्ष प्रणाली, दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिये गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है और इसके विस्तार तथा आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं को तब तक के लिये विलंम्बित रख रही है, जब तक कि पुरानी मशीनरी और उपकरण अपनी उपयोगिता की अवधि पूरी न कर लें; और

(ख) यदि हां, तो जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दूरसंचार प्रणाली के स्वतंत्र तथा निर्बाध विस्तार तथा इसके आधुनिकीकरण को सुनिश्चित कराने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों तथा लेखा परीक्षा प्रणाली ने समस्या पैदा नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पंचायतों में डाक व तार घर

2009. **श्रीमती चंद्रिका अभिनन्दन जैन** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात में अनेक ग्राम पंचायतों को डाक व तार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं ;

(ग) क्या सरकार देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाक व तार घर खोलने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई है, को प्राप्त करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) डाक सुविधाएं सभी गांवों में उपलब्ध है । किन्तु, गुजरात की 5235 ग्राम पंचायतों तथा महाराष्ट्र को 15,302 ग्राम पंचायतों में डाकघर नहीं हैं, तथापि इन राज्यों के अनेक गांवों में तार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) देश की ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या का सर्किलवार ब्यौरा क्रमश. विवरण-1 तथा विवरण-2 में दिया गया है, जिनमें डाकघर व तार सुविधायें नहीं हैं । (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) देश की सभी ग्राम पंचायतों में, जो दूरी, जनसंख्या तथा

ग्राय संबंधी विभागीय मानदंडों को पूरा करती हैं, प्रत्तरोत्तर डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और लक्ष्य आबंटित किये गये हों। अतः इस विषय में कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3,600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, जिनमें 635 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर वर्ष 1992-93 में तथा वर्ष 1993-94 में 31-1-94 तक 600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों में, 800 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर प्रति वर्ष खोलने का प्रस्ताव है।

सभी पंचायत-गांवों में तार सुविधा प्रदान करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। जहां उचित होता है, यह सुविधा चुने हुऐ लबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों (एल०डी०पी०) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

विवरण-1

ग्राम पंचायत गांवों का सर्किलवार ब्यौरा जिनमें 31-12-1993 तक डाकघर नहीं हैं।

क्र०सं०	सर्किल का नाम	ग्राम पंचायत गांवों की संख्या जिन में डाकघर नहीं है।
1	2	3
1	ग्रांध्रप्रदेश	5851
2	ग्रसम	73
3	बिहार	3012
4.	दिल्ली	79
5.	गुजरात	5235
6.	हरियाणा	3176
7.	हिमाचल प्रदेश	395
8.	जम्मू एवं काश्मीर	430
9.	कर्नाटक	192
10.	केरल	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	13932
12.	उत्तर पूर्व	2283
13.	महाराष्ट्र	15302
14.	उड़ीसा	240
15.	पंजाब	8451
16.	राजस्थान	713
17.	तमिलनाडु	3082
18.	उत्तर प्रदेश	57817
19.	पश्चिमी बंगाल	824
	योग	1,20087

विवरण-2

क्र० सं०	सर्किल का नाम	31-19-93 की स्थिति के अनुसार तार सुविधाओं से वंचित पंचायत ग्राम
1	2	3
1	ग्रान्ध्रप्रदेश	15728
2.	ग्रसम	2255
3.	बिहार	8368
4	गजरात	11696
5	हरियाणा	5497
6.	हिमाचल प्रदेश	1955
7	जम्मू एवं कश्मीर	1100
8.	कर्नाटक	4676
9.	केरल	—
10.	मध्य देश	21184
11.	महाराष्ट्र	23062

1	2	3
12.	उत्तर पूर्व	3974
13.	उड़ीसा	2004
14.	पंजाब	11405
15.	राजस्थान	5930
16.	तमिलनाडु	8569
17.	उत्तर प्रदेश	69685
18.	पश्चिम बंगाल	2136
19.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नई दिल्ली	186

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जाना

2010. **श्री दिलीप सिंह भूदेव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज के संबंध में प्रस्तावित लक्ष्य में से अब तक कितने प्रतिशत टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 तक इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ग) वर्ष 1994 के दौरान किन-किन स्थानों पर नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की संभावना है ;

(घ) उन ग्राम पंचायतों का जिलेवार ब्यौरा क्या है जिन्हें 1991-92 1992-93 तथा 1993-94 के वर्षों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी ; और

(ङ) वर्ष 1994 के दौरान राज्य में जिला-वार कौन-कौन सी ग्राम-पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) नये टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं क्योंकि नये टेलीफोन एक्सचेंज की किसी स्थान पर स्थापना-वहां 10 अथवा इससे अधिक भुगतान शुदा मांग दर्ज हो जाने के बाद तत्काल की जाती है । तथापि, मध्य प्रदेश में 1990-93 के दौरान 861 टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किये गये थे ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 तक कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया था । तथापि, 1-4-93 से 31 दिसम्बर, 1993 तक 52 टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किये गये थे ।

(ग) 1994-95 के दौरान जिन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किये जाने हैं उनके नाम विवरण-1 में दिये गये हैं (नीचे देखिए) । परन्तु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी स्थान पर कम से कम 10 भुगतानशुदा मांग दर्ज हो ।

(घ) ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है । (**नीचे देखिए**)

(ङ) 1994-95 के दौरान प्रदेश में जिन स्थानों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान किये जाने की योजना है, उन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । अस्थाई तौर पर 5563 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है जिसका जिलेवार ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है ।